



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273975
CG-DL-E-01072026-273975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3386]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/ आषाढ 10, 1948

No. 3386]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ ASHADHA 10, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3521(अ).— केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाई ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है और ऐसा किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है, आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्टकर्ता इकाई को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन संबंधी कार्य करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्रम संख्यांक	रिपोर्टकर्ता इकाई
(1)	(2)
1.	होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

[फा.सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर-भाग(1)]

सौरभ कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3521(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government being satisfied that the reporting entity mentioned in the Table below shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator, namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entity to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act, namely:-

Table

S.No.	Reporting Entity
(1)	(2)
1.	Home First Finance Company India Limited

[F.No.P-12011/11/2021-ES Cell-DOR-Part(1)]

SAURABH KUMAR, Director